

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 424
19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : सिंचाई योजनाएं

424. श्री दिलीप शङ्कीया:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उन्नत सिंचाई पद्धति प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं हेतु जारी निधियों की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार का विचार असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए कोई विशेष सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करने का है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा गुजरात में सिंचाई पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हो या उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो वर्ष 2015-16 से देश भर में संचालित है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी का फोकस सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यथा; ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने पर है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 से स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ): जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग पीएमकेएसवाई के घटकों; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी का फोकस राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित जारी प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके उनके कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों सहित एआईबीपी के अंतर्गत 76.03 लाख हेक्टेयर की आधारभूत सिंचाई क्षमता वाली जारी 99 प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दिसम्बर, 2019 तक चरणों में पूरा करने की प्राथमिकता दी गई है।

एचकेकेपी के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई (एसएमएफ), जल निकायों का नवीकरण तथा पुनरोद्धार (आरआरआर) स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन स्कीमों में असम सहित पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच निर्मुक्त निधियों का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(ड.) 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत गुजरात राज्य के एक परियोजना नामतः सरदार सरोवर परियोजना को शामिल किया गया है। इस परियोजना के एआईबीपी घटक का विवरण निम्नलिखित है:-

रूपये करोड़ में, क्षमता लाख हेक्टेयर में

| 1.04.2016 को शेष लागत | निर्मुक्त सीए (रूपये करोड़) | नाबार्ड के माध्यम से निर्मुक्त राज्य का हिस्सा | आधारभूत सिंचाई क्षमता | 31.03.2016 तक निर्मित की गई क्षमता | 2016-19 के दौरान निर्मित की गई क्षमता |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016-19 | 2016-19 | | | |
| 9873.26 | 3419.654 | 2713.27 | 17.92 | 11.11 | 5.27 |

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता
(रूपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 206.47 | 308.69 | 517.10 | 520.00 |
| 2 | बिहार | 28.60 | 21.60 | 12.50 | 27.91 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 20.30 | 44.80 | 55.00 | 43.39 |
| 4 | गोवा | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 1.20 |
| 5 | गुजरात | 213.05 | 274.00 | 300.00 | 272.50 |
| 6 | हरियाणा | 34.97 | 27.00 | 14.01 | 27.41 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 7.60 | 8.50 | 19.25 | 26.00 |
| 8 | झारखंड | 14.97 | 30.70 | 25.00 | 10.00 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 4.87 | 5.40 | 3.00 | 7.80 |
| 10 | कर्नाटक | 213.12 | 229.00 | 385.00 | 372.03 |
| 11 | केरल | 8.53 | 0.00 | 25.00 | 4.00 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 161.74 | 121.10 | 150.00 | 132.56 |
| 13 | महाराष्ट्र | 107.26 | 305.70 | 362.50 | 360.00 |
| 14 | ओडिशा | 28.70 | 39.70 | 48.00 | 58.00 |
| 15 | पंजाब | 43.00 | 1.18 | 0.00 | 9.00 |
| 16 | राजस्थान | 142.84 | 129.00 | 107.50 | 168.48 |
| 17 | तमिलनाडु | 129.78 | 143.50 | 369.55 | 355.00 |
| 18 | तेलंगाना | 111.32 | 189.00 | 257.00 | 122.00 |
| 19 | उत्तराखंड | 9.60 | 15.00 | 27.20 | 43.00 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 37.51 | 41.40 | 55.00 | 87.88 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 4.80 | 19.90 | 31.00 | 40.00 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 2.60 | 2.00 | 8.30 | 12.50 |
| 23 | असम | 5.03 | 11.00 | 3.00 | 30.00 |
| 24 | मणिपुर | 2.76 | 3.60 | 7.50 | 40.00 |
| 25 | मेघालय | 1.43 | 0.00 | 3.30 | 12.00 |
| 26 | मिजोरम | 3.27 | 8.10 | 12.30 | 27.80 |
| 27 | नागालैंड | 2.34 | 4.50 | 11.80 | 35.00 |
| 28 | सिक्किम | 4.86 | 5.40 | 4.00 | 55.19 |
| 29 | त्रिपुरा | 1.55 | 0.00 | 3.75 | 15.00 |
| 30 | संघ राज्य क्षेत्र | 2.23 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 31 | मुख्यालय | 1.33 | 0.67 | 1.43 | 2.73 |
| | सकल योग | 1556.73 | 1991.24 | 2819.49 | 2918.38 |

डब्ल्यूआर,आरडीएंडजीआर के पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्कीमों का विवरण

सीए करोड़ रुपये में

| क्र.सं. | राज्य | एआईबीपी | | | | | एसएमआई | | | | | आरआरआर | | | | |
|---------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | निर्मुक्त केंद्रीय सहायता | | | | | निर्मुक्त केंद्रीय सहायता | | | | | निर्मुक्त केंद्रीय सहायता | | | | |
| | | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 15.23 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | 14.72 | 37.22 | 20.52 | 10.26 | 22.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 89.22 | 107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.78 | 139.41 | 87.86 | 375.77 | 428.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 0.00 | 41.51 | 0.00 | 46.32 | 37.82 | 70.86 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 1033.94 | 128.00 | 961.88 | 1410.49 | 1047.29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 1.13 | 49.28 | 66.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | हरियाणा | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 14.21 | 34.31 | 0.00 | 9.57 | 16.92 | 0.00 | 84.03 | 0.00 | 104.48 | 31.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | झारखंड | 0.00 | 281.62 | 145.75 | 305.10 | 305.88 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | कर्नाटक | 150.82 | 208.16 | 135.46 | 459.52 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 96.01 | 188.21 | 300.13 | 181.27 | 81.01 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | महाराष्ट्र | 32.00 | 307.81 | 379.86 | 363.02 | 527.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | मणिपुर | 82.68 | 142.38 | 126.99 | 25.42 | 21.93 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 22.23 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 44.44 | 31.50 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 18 | मिजोरम | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | नागालैंड | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.61 | 61.45 | 18.50 | 9.25 | 35.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | सिक्किम | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 9.00 | 16.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | त्रिपुरा | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | उत्तराखंड | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 121.37 | 0.00 | 32.40 | 61.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ओडिशा | 19.98 | 173.80 | 457.74 | 464.71 | 119.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 54.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 25 | पंजाब | 0.00 | 1.05 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | राजस्थान | 9.49 | 45.51 | 45.89 | 216.87 | 95.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 27 | तेलंगाना | 65.33 | 112.50 | 545.44 | 13.24 | 1.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | 59.68 | 0.00 |
| 28 | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 307.99 | 555.04 | 135.63 | 65.60 | 397.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 1901.67 | 2327.82 | 3307.88 | 3593.61 | 2849.07 | 708.65 | 601.92 | 148.01 | 665.36 | 725.22 | 130.49 | 161.19 | 0.00 | 79.64 | 24.80 |

